कार्यालय उप निदेशक, फायर सर्विस लखनऊ/फैजाबाद परिक्षेत्र।

पत्र संख्या-अ-149/डी0डी0(लखनऊ)-2016 दिनांक अगस्त 51 ,2016

सेवा में,

श्री राधा माधव जिन्दल,
मुख्य प्रबन्धक,
ओमेक्स प्रा0लि0,
साइवर टावर द्वितीय तल, टी0सी0-34/वी-2
विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः खसरा नं0-सेक्टर शापिंग-1, सुल्तानपुर रेाड गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

यू0आई0डी0 नम्बर-2016/23339/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2078/डीडी, दिनांक 04.08.2016

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 31.07.2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ तथा अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर द्वारा किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ तथा श्री शेष नाथ यादव अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ की आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 2276.14 वर्गमीटर।

- प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया- 638.67 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 547.62 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल का कर्वड एरिया- 583.09 वर्गमीटर।
- सर्विस तल का कर्वड एरिया- 531.42 वर्गमीटर।
- तृतीय तल का कर्वड एरिया- 526.99 वर्गमीटर।
- चतुर्थ तल का कर्वड एरिया- 526.99 वर्गमीटर।
- पाचवें तल का कवर्ड एरिया- 526.99 वर्गमीटर।
- छठवे तल का कवर्ड एरिया- 526.99 वर्गमीटर।

2-भवन की ऊँचाई- 28.550 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की मिक्स्ड आक्युपेन्सी श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 45.00 मी0 रोड की चौडाई है।

2-प्रवेश व निकास द्धार प्रत्येक की चौड़ाई-06.00 मी0 है जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 10.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 11.25 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 11.25 मीटर।
- पार्श्वभाग द्धितीय- 10.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4-**निकास मार्ग**-प्रस्तावित भवन मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-**रिफ्यूज एरिया का विवरण**-प्रत्येक आवासीय फ्लैट मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-**भूमिगत टैंक**-भूमिगत टैंक-150000 ली0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

2-**पम्प**-भूमिगत टैक के पास मेन पम्प-2280 एलपीएम क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प-2280 एलपीएम क्षमता एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र मे किया गया है।

3-**होजरील**-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4-**वेटराइजर**-प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5-**यार्ड हाइडेन्टस्**-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया गया है।

6-**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**-भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**-सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9-**टेरिस टैंक**-भवन के टैरिस पर टेरिस टैंक-20000 ली0 क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

10-**टेरिस पम्प**-आवश्यक नही है।

11-**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूसर)**-भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12-**स्मोक एक्सटेक्शन सिस्टम**-आवश्यक नही है।

13-**एग्जिट साइनेज**-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

14-**पी0ए0 सिस्टम**-सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

15-प्रस्तावित भवन के सर्विस तल की छत 04 घंटे फायर रेटिंग क्षमता का निर्मित कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा नं0-सेक्टर शापिंग-1, सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक-मानचित्र

(एस0के0 सिंह) 1/8/16
उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र,
लखनऊ/फैजाबाद।

प्रतिलिपि-

1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।